



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बीजापुर जिले के बीजापुर वनमण्डल अंतर्गत भैरमगढ़ एवं उसूर परिक्षेत्र / ब्लाक के आरक्षित वन भूमि 3.443 हे.; संरक्षित वन भूमि रकबा 3.489 हे.; नारंगी वन भूमि रकबा 1.602 एवं राजस्व वन भूमि 0.172 हे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 8.706 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 8.706 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 18/02/2021

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़